



भारत में एआई शासन संबंधी दिशानिर्देशः

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई नवाचार को सक्षम बनाना

AI IN INDIA
FROM VISION TO IMPACT

15 फरवरी, 2026

प्रमुख बातें

- भारत ने सभी क्षेत्रों में सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई नवाचार को सक्षम बनाने के लिए सात सूत्रों पर आधारित सिद्धांत-आधारित एआई शासन ढांचे को अपनाया है।
- दिशा-निर्देशों में एआई शासन समूह, प्रौद्योगिकी एवं नीति विशेषज्ञ समिति और एआई सुरक्षा संस्थान सहित नए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई है।
- एआई शासन दिशानिर्देश संयम की तुलना में नवाचार को प्राथमिकता देते हैं, एआई को समावेशी विकास, प्रतिस्पर्धा क्षमता और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करते हैं।

परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पांचवीं औद्योगिक क्रांति की निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी है, और भारत ने स्पष्ट, महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है: राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित संपूर्ण एआई स्टैक का निर्माण करना। भारत की एआई रणनीति केवल तकनीकी दक्षता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्रीकरण, व्यापक उपयोग और समावेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई कुछ चुनिंदा कंपनियों या भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन, विनिर्माण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई जैसे सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो। "सभी के लिए एआई" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत उत्पादकता और समावेशी विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना, स्वदेशी मॉडल विकास और क्वालिटी कंप्यूटिंग का लाभ उठाते हुए संप्रभु क्षमता को मुक्त नवाचार के साथ संयोजित करना चाहता है। यह दृष्टिकोण एआई विकास को "विकसित भारत 2047" की व्यापक आकांक्षा के साथ संरेखित करता है, और एआई को आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक सशक्तिकरण और रणनीतिक स्वायत्तता के उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करता है।


भारत की उपलब्धियाँ इस तैनाती-प्रथम दर्शन को दर्शाती हैं। **इंडिया एआई मिशन** के अंतर्गत, सब्सिडी प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर सुविधा के माध्यम से 38,000 से अधिक जीपीयू को शामिल किया गया है। एआई कोश में अब 9,500 से अधिक डेटासेट और 273 क्षेत्रीय मॉडल शामिल हैं, जिससे स्वदेशी मॉडल विकास को मजबूती मिलती है। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन से ऐरावत और परम सिद्धि-एआई सहित 40+ पेटाफ्लॉप सिस्टम संचालित हो रहे हैं। क्षमता के मोर्चे पर, **इंडिया एआई** और फ्यूचरस्किल्स पहल 500 पीएचडी, 5,000 स्नातकोत्तर और 8,000 स्नातक विद्यार्थियों का समर्थन कर रही हैं, जबकि विभिन्न राज्यों में 570 एआई डेटा लैब और 27 **इंडिया एआई लैब** जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। लगभग 90 प्रतिशत स्टार्टअप किसी न किसी रूप में एआई को एकीकृत कर रहे हैं, जिससे भारत अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में एआई को गहराई से समाहित कर रहा है।



एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जारी होने वाले **भारत एआई शासन दिशानिर्देश** इन उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ पर आए हैं। सात मार्गदर्शक सूत्रों पर आधारित यह ढांचा सिद्धांत-आधारित, तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण अपनाता है। एआई शासन समूह, प्रौद्योगिकी एवं नीति विशेषज्ञ समिति और एआई सुरक्षा संस्थान जैसे नए संस्थानों की स्थापना करके, भारत **समग्र सरकारी मॉडल** को संस्थागत रूप दे रहा है जो नवाचार और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाए रखता है। ये दिशानिर्देश न केवल एआई को अपनाने और उसकी क्षमता में, बल्कि वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार, समावेशी और विश्वसनीय एआई शासन में भी अग्रणी बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को मजबूत करते हैं।

भारत का एआई शासन दर्शन

भारत समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता का लाभ उठाना चाहता है, साथ ही इससे व्यक्तियों और समाज को होने वाले आशंकित जोखिमों का भी समाधान करना चाहता है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने जुलाई 2025 में एआई संचालन के लिए ढांचा तैयार करने हेतु **मसौदा समिति** का गठन किया। समिति को उपयुक्त संचालन दिशा-निर्देश तैयार करने में मौजूदा कानूनों का उपयोग करने,



वैश्विक घटनाक्रमों की समीक्षा करने, उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करने और जनता की प्रतिक्रिया को शामिल करने का दायित्व सौंपा गया था।

समिति ने अपनी चर्चाओं के आधार पर एआई शासन ढांचे को चार भागों में प्रस्तुत किया। पहले भाग में भारत के एआई शासन दर्शन के आधार सात सूत्र बताए गए हैं। दूसरे भाग में प्रमुख मुद्दों की जांच की गई है और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। तीसरे भाग में एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है, और चौथे भाग में उद्योग जगत के हितधारकों और नियामकों के लिए सिफारिशों के सुसंगत और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु व्यावहारिक दिशानिर्देश दिए गए हैं।

भाग 1: प्रमुख सिद्धांत

एआई शासन ढांचे के प्रमुख सिद्धांतों को क्रॉस सेक्टरल प्रयोज्यता और प्रौद्योगिकी तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जिससे उपयोग के विविध मामलों और तकनीकी विकास के चरणों में प्रासंगिकता बनी रहती है। ये सिद्धांत मिलकर लचीला और भविष्य के लिए तैयार जिम्मेदार एआई विकास और तैनाती का आधार प्रदान करते हैं।


1. विश्वास ही आधार है	2. जनता प्रथम
नवाचार, अपनाने और प्रगति के समर्थन के साथ-साथ जोखिम कम करने के लिए विश्वास आवश्यक है। विश्वास के बिना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। विश्वास को पूरी मूल्य श्रृंखला में अंतर्निहित होना चाहिए - अंतर्निहित तकनीक में, इन उपकरणों का निर्माण करने वाले संगठनों में, पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थानों में, और इस विश्वास में कि व्यक्ति इन उपकरणों का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे। इसलिए, विश्वास वह मूलभूत सिद्धांत है जो भारत में सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और तैनाती का मार्गदर्शन करता है।	एआई प्रशासन में जनता को केंद्र में रखा जाना चाहिए। एआई प्रणालियों को इस तरह विकसित और तैनात किया जाना चाहिए जिससे मानवीय सक्रियता मजबूत हो और जो सामाजिक मूल्यों का प्रतिबिंब हो। प्रशासन के दृष्टिकोण से, इसके लिए यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो, एआई प्रणालियों पर मनुष्यों का सार्थक नियंत्रण बना रहे, जिसे प्रभावी मानवीय निगरानी द्वारा समर्थित किया जाए। जन-प्रथम दृष्टिकोण क्षमता निर्माण, नैतिक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी विचारों पर भी जोर देता है।
3. संयम पर नवाचार को वरीयता	4. निष्पक्षता और समानता
एआई-आधारित नवाचार सामाजिक-आर्थिक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए, एआई शासन ढांचे को सक्रिय रूप से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रभावी	समावेशी विकास को बढ़ावा देना भारत के एआई शासन दृष्टिकोण का प्रमुख उद्देश्य है। एआई प्रणालियों को निष्पक्षता सुनिश्चित करने और समान परिणाम हासिल करने के लिए विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह या

<p>नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही, नवाचार को जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य संभावित नुकसान को कम करते हुए समग्र लाभ को अधिकतम करना होना चाहिए। अन्य सभी चीजें समान होने पर, सावधानीपूर्वक संयम की तुलना में जिम्मेदार नवाचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।</p>	<p>भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। साथ ही, सक्रिय रूप से समावेश को बढ़ावा देने और बहिष्कार तथा असमान परिणामों के जोखिम को कम करने के लिए एआई का उपयोग किया जाना चाहिए।</p>
<p>5. जवाबदेही</p> <p>भारत के एआई इकोसिस्टम की प्रगति विश्वास पर आधारित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, एआई का विकास करने वालों और उसे तैनात करने वालों को पारदर्शी और जवाबदेह बने रहना चाहिए। जवाबदेही को किए गए कार्य, नुकसान के जोखिम और लागू की गई उचित सावधानी की शर्तों के आधार पर स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। जवाबदेही को विभिन्न नीतिगत, तकनीकी और बाजार-आधारित तंत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।</p>	<p>6. डिज़ाइन के अनुसार समझने योग्य</p> <p>समझने योग्य होना विश्वास कायम करने की मूलभूत आवश्यकता है और यह बाद में जोड़ा गया पहलू नहीं बल्कि मुख्य डिज़ाइन विशेषता होनी चाहिए। यद्यपि एआई प्रणालियाँ संभाव्यता पर आधारित होती हैं, फिर भी जहाँ तक तकनीकी रूप से संभव हो उपयोगकर्ताओं और नियामकों को यह समझने में मदद करने के लिए स्पष्ट व्याख्याएँ और प्रकटन होने चाहिए कि प्रणाली कैसे काम करती है, उपयोगकर्ता के लिए इसका क्या अर्थ है, और इसे तैनात करने वाली संस्थाओं द्वारा अपेक्षित संभावित परिणाम क्या हैं।</p>
<p>7. सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता</p> <p>एआई प्रणालियों को नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए और ये मजबूत और लचीली होनी चाहिए। इन प्रणालियों में विसंगतियों का पता लगाने और हानिकारक परिणामों को सीमित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। एआई विकास के प्रयास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और संसाधन कुशल होने चाहिए, और छोटे, संसाधन कुशल हल्के मॉडल को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।</p>	

ये सात सिद्धांत मिलकर एक सुसंगत और संतुलित एआई शासन ढांचा स्थापित करते हैं जो विश्वास, समानता और जवाबदेही की रक्षा करते हुए नवाचार को सक्षम बनाता है। ये जन-केंद्रित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार एआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तकनीकी प्रगति को सामाजिक मूल्यों और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर, यह ढांचा बड़े पैमाने पर जिम्मेदार एआई अपनाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।

भाग 2: प्रमुख मुद्दे और सिफारिशें

सात सिद्धांतों या सूत्रों को मार्गदर्शक मानते हुए, समिति एआई शासन के लिए ऐसे दृष्टिकोण की सिफारिश करती है जो नवाचार करने, उसे अपनाने और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देता है, साथ ही व्यक्तियों और समुदायों के लिए जोखिमों को कम करने के उपायों भी प्रस्ताव करती है। प्रभावी शासन में सिर्फ उचित विनियमन ही नहीं बल्कि क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे और संस्था निर्माण सहित नीतिगत जुड़ाव के अन्य रूप भी शामिल होते हैं। समिति ने सभी स्तरों पर सिफारिशें की हैं।



1. बुनियादी ढांचा

इंडिया एआई शासन ढांचा सामाजिक जोखिम कम करते हुए नवाचार और उसे बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रोत्साहन पर बल देता है। **इंडिया एआई मिशन के तहत**, कंप्यूट और डेटा संसाधनों तक बेहतर पहुंच, मूलभूत मॉडल का विकास और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपी), बेहतर डेटा साझाकरण और सुरक्षा परीक्षण पर आधारित एआई अनुप्रयोगों की तैनाती सहित **प्रमुख बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।** इस गति को बनाए रखने के लिए, स्केलेबल अवसंरचना में निरंतर निवेश, कंप्यूट और डेटा तक समान पहुंच और मजबूत संस्थागत क्षमता आवश्यक होगी।

आधारभूत एआई अवसंरचना पारिस्थितिकी	समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं भी की हैं:
<ul style="list-style-type: none"> इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत 38,000 से अधिक जीपीयू को शामिल किया गया (लक्ष्य 100,000), इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल के माध्यम से रियायती पहुंच उपलब्ध है। एआई कोश में 9,500 से अधिक डेटासेट और 273 क्षेत्रीय मॉडल शामिल हैं। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (40+ पेटाफ्लॉप्स मशीनें) जिसमें ऐरावत और परम सिद्धि-एआई शामिल हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के साथ एआई का निरंतर एकीकरण 	<ul style="list-style-type: none"> इंडिया एआई मिशन और सरकारों को बुनियादी ढांचे और कंप्यूट सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से एआई को अपनाने का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाना। मजबूत डेटा गवर्नेंस और पोर्टेबिलिटी मानकों के माध्यम से डेटा की उपलब्धता और साझाकरण में सुधार करना। सांस्कृतिक रूप से प्रतिनिधि एआई मॉडल विकसित करने के लिए स्थानीय रूप से प्रासंगिक डेटासेट को बढ़ावा देना। एआई तैनाती और सुरक्षा परीक्षण के लिए मूल्यांकन डेटासेट और कंप्यूट संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

	<ul style="list-style-type: none"> • स्केलेबल और समावेशी तैनाती को सक्षम करने के लिए एआई को डीपीआई के साथ एकीकृत करना।
--	---

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या है?

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) से तात्पर्य उन मूलभूत डिजिटल प्रणालियों से है जो सुलभ, सुरक्षित और अंतरसंचालनीय हैं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, सरकारी ई-मार्केटप्लेस, उमंग, पीएम गतिशक्ति आदि।

2. क्षमता निर्माण

भारत ने एआई क्षमता निर्माण के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स, फ्यूचरस्किल्स प्राइम और उच्च शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, जो एआई-तैयार कार्यबल के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं। एआई को अपनाने की गति बढ़ने के साथ, इन प्रयासों को और अधिक विस्तारित करने से समावेशी वृद्धि और व्यापक पहुंच की मांगों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। छोटे व्यवसायियों और नागरिकों के लिए एआई के उपयोग को बढ़ाना, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी क्षमता को मजबूत करना, एआई प्रणालियों की प्रभावी खरीद, जोखिम प्रबंधन और जिम्मेदार तैनाती में सहायक होगा।

मौजूदा एआई मानव संसाधन और नवाचार क्षमता	समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं भी की हैं:
<ul style="list-style-type: none"> • इंडियाएआई और फ्यूचरस्किल्स जैसे वर्तमान प्रयासों के माध्यम से 500 पीएचडी, 5,000 स्नातकोत्तर और 8,000 स्नातक विद्यार्थियों को सहायता मिल रही है। • एआई डेटा लैब्स नेटवर्क में टियर 2 और टियर 3 शहरों में फैले 570 प्रयोगशाला शामिल हैं, जिनका उद्देश्य डेटा एनोटेशन, क्यूरेशन और एप्लाइड एआई कौशल में प्रशिक्षण के माध्यम से जमीनी स्तर पर एआई क्षमताओं का निर्माण करना है। • अखिल भारतीय पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एकीकृत किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> • नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से एआई के प्रति जन जागरूकता और विश्वास बढ़ाना। • सूचित खरीद और जिम्मेदारी से एआई उपयोग को समर्थन देने के लिए सरकारी अधिकारियों और नियामकों को प्रशिक्षण देना। • एआई-सक्षम अपराधों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना। • व्यावसायिक संस्थानों और द्वितीय (टियर-2) और तृतीय स्तर (टियर-3) के शहरों में कौशल विकास पहलों का विस्तार करना।

<ul style="list-style-type: none"> • 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 27 इंडिया एआई डेटा और एआई लैब स्थापित+ 174 आईटीआई को स्वीकृति। • व्यापक एआई साक्षरता के लिए सबके लिए निःशुल्क YUVA AI आधारभूत पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 	
--	--

3. नीति एवं विनियमन

एआई शासन दृष्टिकोण का उद्देश्य नवाचार, उसे अपनाने और प्रौद्योगिकीय प्रगति को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि एआई मूल्य श्रृंखला में व्यक्तियों और समाज के लिए जोखिमों को कम किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा संरक्षण, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, मीडिया, रोजगार, उपभोक्ता संरक्षण और आपराधिक कानून जैसे क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों से युक्त मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा से संकेत मिलता है कि एआई से संबंधित कई मुद्दों को वर्तमान कानूनों के तहत निपटाया जा सकता है।

साथ ही, एआई प्रणालियों से संबंधित नियामक कमियों की पहचान करने के लिए प्रासंगिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है। इनमें एआई मूल्य श्रृंखला में वर्गीकरण और दायित्व के मुद्दे, एआई विकास में डेटा सुरक्षा सिद्धांतों का अनुप्रयोग, जनरेटिव एआई का दुरुपयोग और सामग्री प्रमाणीकरण और उत्पत्ति से संबंधित चुनौतियाँ, एआई प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री का उपयोग और संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम शामिल हैं। जबकि इनमें से कुछ मुद्दे अंतर-मंत्रालयी परामर्श, नियम बनाने और विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से पहले से ही विचाराधीन हैं, बढ़ती स्वायत्त प्रणालियों सहित एआई का तीव्र विकास नियामक ढाँचों के लिए समयबद्ध, सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार रहने की चुनौतियाँ पेश करता है।

जिम्मेदार के लिए नीतिगत आधार	समिति ने निम्नलिखित अनुशंसा भी की हैं:
<ul style="list-style-type: none"> • एआई संप्रभुता, कंप्यूट एक्सेस का लोकतंत्रीकरण, स्वदेशी मॉडल विकास और जिम्मेदार एआई क्षमता निर्माण के लिए इंडिया एआई मिशन (2025) • आईटी नियम, 2021 और संशोधन मौजूदा डिजिटल विनियमन के भीतर एआई-संबंधी नुकसान के लिए आधारभूत मध्यस्थ दायित्व संरचना और प्रवर्तन आधार प्रदान करने के लिए हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> • संतुलित, चुस्त और सिद्धांत आधारित एआई शासन ढांचा दृष्टिकोण अपनाना जो मौजूदा कानूनों पर आधारित है। • एआई से संबंधित जोखिमों और नियामक कमियों की पहचान करने के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे की समीक्षा करना। • वर्गीकरण, दायित्व, डेटा संरक्षण और कॉपीराइट से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए लक्षित विधायी संशोधनों को प्रस्तुत करना।

<ul style="list-style-type: none"> • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण, सहमति और न्यासी दायित्वों को विनियमित करके जवाबदेही और वैध एआई तैनाती का समर्थन करता है। • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2026 एआई-जनरेटेड और डीपफेक सामग्री के लिए बनाए गए हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> • सामग्री प्रमाणीकरण, डेटा अखंडता, साइबर सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए सामान्य मानक और मानदंड विकसित करना। • प्रौद्योगिकी एवं नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी) के सहयोग से एआई शासन समूह (एआईजीजी) के माध्यम से विशेषज्ञ-नेतृत्व वाली मार्गदर्शन प्रणाली को सक्षम बनाना। • नियंत्रित वातावरण में उभरती एआई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए नियामक सैंडबॉक्स का उपयोग करना। • एआई शासन के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय सहभागिता को मजबूत बनाना। • भविष्य में एआई के विकास के प्रति नियमों को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए क्षितिज-विश्लेषण और दूरदर्शिता अभ्यास करना।
--	--

4. जोखिम कम करना

जोखिम कम करना नीति और नियामक सिद्धांतों को व्यावहारिक सुरक्षा उपायों में बदलने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एआई प्रणालियों से होने वाले नुकसान को रोकते या कम करते हैं। चूंकि एआई प्रणालियां संभाव्य, सृजनात्मक, अनुकूलनीय और सक्रिय होती हैं, इसलिए वे व्यक्तियों, बाजारों और समाज में नए जोखिम पैदा कर सकती हैं या मौजूदा जोखिमों को बढ़ा सकती हैं।

इन जोखिमों में एआई-सक्षम गलत सूचना और साइबर हमले जैसे दुर्भावनापूर्ण उपयोग, गलत या अप्रतिनिधि डेटा से उत्पन्न पूर्वाग्रह और भेदभाव; व्यक्तिगत डेटा के उपयोग में पारदर्शिता की विफलताएं, बाजार एकाग्रता और भू-राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े प्रणालीगत जोखिम, एआई प्रणालियों पर नियंत्रण का नुकसान; और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरे शामिल हैं।

कमजोर समूहों को इन नुकसानों का अधिक खतरा होता है, शोषणकारी अनुशंसा प्रणालियों के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों को अधिक खतरा है और महिलाओं को एआई द्वारा निर्मित डीपफेक का असमान रूप से निशाना बनाया जाता है। एआई जोखिमों के वर्गीकरण और आकलन के लिए वैश्विक और घरेलू प्रयासों के बावजूद, भारत को वास्तविक दुनिया के नुकसानों के अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित गहन, संदर्भ-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता है। एआई से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने, विश्लेषण करने और उनसे सीखने के लिए संरचित तंत्र की उपस्थिति नीति निर्माताओं, नियामकों और संस्थानों को उभरते जोखिमों का अनुमान लगाने, उचित सुरक्षा उपायों को डिजाइन करने और सभी क्षेत्रों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी।

मौजूदा जोखिम कम करना	समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं भी की हैं:
<ul style="list-style-type: none"> • इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) साइबर घटनाओं से निपटने, समन्वय करने और वास्तविक समय में खतरों के बारे में सलाह देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। • साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) की स्थापना की गई है। • राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए नोडल निकाय है। • भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि क्षेत्रीय नियामक निकाय हैं जो विशिष्ट क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन मानदंडों को लागू करते हैं। • राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) वास्तविक समय में साइबर खतरों की निगरानी और स्थितिजन्य जागरूकता को मजबूत करता है, जबकि भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत) डेटा संरक्षण अनुपालन और जवाबदेही के लिए वैधानिक प्रवर्तन निकाय के रूप में कार्य करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • संवेदनशील समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-विशिष्ट एआई जोखिम मूल्यांकन और वर्गीकरण ढांचा विकसित करना। • नुकसानों पर नज़र रखने और निगरानी को सूचित करने के लिए राष्ट्रीय, संघीय एआई घटना रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना। • मानकों, लेखापरीक्षाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से आनुपातिक स्वैच्छिक जोखिम कम करने के ढाँचों को प्रोत्साहित करना। • समुचित तकनीकी-कानूनी उपायों का उपयोग करके डिज़ाइन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा को समाहित करना। • संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियंत्रण खोने के जोखिमों को कम करने के लिए मानवीय निगरानी और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाना।

5. जवाबदेही

जवाबदेही एआई शासन की रीढ़ है, फिर भी व्यवहार में इसे सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। एआई से संबंधित कई जोखिमों से मौजूदा कानूनों के तहत निपटा जा सकता है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पूर्वानुमानित और समय पर प्रवर्तन पर निर्भर करती है। कंपनियों को अनुपालन के लिए सार्थक दबाव की आवश्यकता है, जबकि नियामकों को संगठनात्मक प्रथाओं और एआई मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता चाहिए। वर्तमान स्वैच्छिक ढाँचों में कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव है, और डेवलपर्स, डिप्लॉयर्स और अंतिम

उपयोगकर्ताओं के बीच दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, इस पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। उपयोगकर्ताओं के पास अक्सर सुलभ और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी होती है, और एआई सिस्टम डिजाइन, डेटा प्रवाह और संगठनात्मक निर्णय लेने में पारदर्शिता सीमित रहती है। एआई सिस्टम की संभाव्य और अनुकूलनीय प्रकृति अप्रत्याशित परिणाम भी उत्पन्न कर सकती है, जिसके लिए ऐसे शासन दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रवर्तन और जिम्मेदार नवाचार के लिए स्थान के बीच संतुलन बनाए रखे।

मौजूदा जवाबदेही और अनुपालन व्यवस्था	समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं भी की हैं:
<ul style="list-style-type: none"> • आईटी अधिनियम, 2000 एआई वैल्यू चेन में डिजिटल मध्यस्थों, साइबर अपराधों और प्लेटफॉर्म की क्षमता को नियंत्रित करने वाला मूलभूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले एआई सिस्टम के लिए सहमति आधारित डेटा प्रसंस्करण, न्यासी दायित्व और जवाबदेही मानक स्थापित करता है • आईटी नियम, 2021 और आईटी संशोधन नियमावली, 2026 एआई जनित और कृत्रिम सामग्री से होने वाले नुकसान के लिए शिकायत निवारण तंत्र और त्वरित निष्कासन समयसीमा प्रदान करते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> • मार्गदर्शक टिप्पणियां या मास्टर परिपत्रों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में एआई पर मौजूदा कानूनों की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना। • एआई के सभी हितधारकों के कार्य, जोखिम और उचित सावधानी के अनुपात में श्रेणीबद्ध दायित्वों और जवाबदेही को लागू करना। • पारदर्शिता रिपोर्ट, लेखापरीक्षा और स्व-प्रमाणीकरण सहित प्रवर्तन और जवाबदेही को मजबूत करने वाला तंत्र। • स्पष्ट प्रतिक्रिया अंतर और समय पर समाधान के साथ सुलभ शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाना। • प्रभावी विनियामक निरीक्षण को सक्षम करने के लिए एआई मूल्य श्रृंखला की पारदर्शिता में सुधार करना

6. संस्थान

भारत के एआई शासन ढांचे को समन्वित "समग्र सरकारी दृष्टिकोण" से लाभ होगा, जिससे सामंजस्य और प्रभावशीलता मजबूत होगी। वर्तमान में, जिम्मेदारियां कई एजेंसियों में वितरित हैं, जिससे अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और रणनीतिक संरेखण को बढ़ाने के अवसर पैदा होते हैं। स्थायी अंतर-एजेंसी तंत्र की स्थापना से राष्ट्रीय एआई रणनीति की निगरानी करने, उभरते जोखिमों का आकलन करने, कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने और जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। जबकि Meity, CERT-In और आरबीआई जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण क्षेत्र-विशिष्ट भूमिकाएं निभाती हैं, एआई नीति, सुरक्षा और नैतिकता पर तकनीकी विशेषज्ञता का अधिक घनिष्ठ एकीकरण अधिक मजबूत जोखिम मूल्यांकन, दिशानिर्देश विकास और उद्योग के साथ सूचित जुड़ाव को सक्षम करेगा, साथ ही भारत की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करेगा।

एआई शासन के लिए मौजूदा संस्थागत संरचना	समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं भी की हैं:
<ul style="list-style-type: none"> इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एआई नीति के विकास के लिए सर्वोच्च मंत्रालय है। नीति आयोग भारत की राष्ट्रीय एआई रणनीति के विकास के लिए प्रमुख संस्था है। यह एआई को अपनाने और नवाचार पर रणनीतिक दृष्टि, नीतिगत सलाहकार सहायता और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय प्रदान करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> समग्र नीति विकास के समन्वय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ एआई शासन ढांचे को संरेखित करने के लिए एआई शासन समूह (एआईजीजी) की स्थापना करें। एआई शासन से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामलों पर एआई शासन समूह को विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी) का गठन करें। इंडिया एआई सुरक्षा संस्थान को अनुसंधान करने, मसौदा मानक और उनके मूल्यांकन मापदंड तथा परीक्षण विधियों और बेंचमार्क विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय निकायों, राष्ट्रीय मानक निर्माण निकायों के साथ सहयोग करने और नियामकों तथा उद्योग को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

समग्र सरकारी दृष्टिकोण

एक समन्वित ढांचा जहां सभी संबंधित मंत्रालय, क्षेत्रीय नियामक, मानक निकाय और सार्वजनिक संस्थान नीति निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सहयोग करते हैं। इससे रणनीतियों में सामंजस्य सुनिश्चित होता है, दोहराव से बचा जा सकता है और सभी क्षेत्रों में सुसंगत शासन को बढ़ावा मिलता है।

भाग 3: कार्य योजना

कार्य योजना एआई शासन के संस्थागतकरण, जोखिम न्यूनीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में सतत रूप से अपनाने के लिए चरणबद्ध रूपरेखा निर्धारित करती है। यह शासन सिद्धांतों को जिम्मेदार, स्केलेबल और समावेशी परिणामों में बदलने के लिए अल्पकालिक प्राथमिकताओं को मध्यम और दीर्घकालिक सुधारों के साथ संरेखित करती है, जबकि तकनीकी प्रगति और उभरते जोखिमों के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है।

अल्पकालिक	मध्यम अवधि	दीर्घकालिक
एआईजीजी और टीपीईसी जैसे प्रमुख शासन संस्थान स्थापित करें	सामान्य मानक प्रकाशित करें (जैसे सामग्री प्रमाणीकरण, डेटा निष्पक्षता, अखंडता, साइबर सुरक्षा)	इस कार्य योजना के अंतर्गत शासन ढांचे और गतिविधियों की निरंतर समीक्षा और निगरानी करें।
क्षेत्रीय इनपुट के साथ भारत-विशिष्ट एआई जोखिम मूल्यांकन और वर्गीकरण ढांचे विकसित करें।	स्थानीयकृत राष्ट्रीय एआई डेटाबेस रिपोर्टिंग फीडबैक लूप्स के माध्यम से घटनाओं को कार्यान्वित करना	उभरते जोखिमों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नए कानून अपनाएं।
नियामकीय कमियों का विश्लेषण करें, उपयुक्त कानूनी संशोधनों और नियमों का सुझाव दें और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक ढाँचे अपनाएँ।	नियामक खामियों को दूर करने के लिए, कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन करें।	कूटनीतिक रूप से वैश्विक जुड़ाव का विस्तार करें और मानकों के विकास में योगदान दें।
नवाचार और जोखिमों को कम करने के लिए मास्टर सर्कुलर प्रकाशित करें।	उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पायलट नियामक सैंडबॉक्स।	भविष्य के जोखिमों और अवसरों के लिए तैयारी हेतु परिदृश्य योजना का संचालन और क्षितिज-विश्लेषण करें।
एआई घटनाओं के डेटाबेस और शिकायत निवारण के लिए आधारभूत संरचना तैयार करें और स्पष्ट दायित्व व्यवस्था विकसित करें।	नीतिगत सक्षमकर्ताओं के साथ डीपीआई को एआई के साथ एकीकृत करने में सहायता करें	
एआई के लिए मूलभूत अवसंरचना तक पहुंच का विस्तार करें।		

सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें और सुरक्षित एवं विश्वसनीय उपकरणों को लागू करें।		
--	--	--

एआई शासन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संस्थानों को सुदृढ़ करके, जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करके और जिम्मेदार एआई अपनाने को सक्षम बनाकर व्यावहारिक प्रभाव प्रदान करना है, साथ ही सभी क्षेत्रों में नवाचार, विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा भी देना है। **अल्पावधि** में, समन्वित संस्थान, भारत-विशिष्ट जोखिम ढाँचे, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, स्वैच्छिक अनुपालन और जन जागरूकता पहल विश्वास और शासन क्षमता का निर्माण करेंगे। **मध्यम अवधि** में, सामान्य मानक, नियामक सैंडबॉक्स, अद्यतन कानून और डीपीआईई एकीकरण सुरक्षित नवाचार और सुगम अनुपालन का समर्थन करेंगे। **दीर्घ अवधि** में, भारत मजबूत जवाबदेही, उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन और जिम्मेदार एआई शासन में उन्नत वैश्विक नेतृत्व के साथ संतुलित, चुस्त और भविष्य के लिए तैयार एआई शासन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेगा।

इन सभी परिणामों से यह सुनिश्चित होगा कि भारत का एआई इकोसिस्टम नवोन्मेषी, समावेशी और लचीला बना रहे, जिससे सामाजिक हितों की रक्षा करते हुए तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिले।

भाग 4: उद्योग और नियामकों के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश

एआई शासन ढाँचे के सुसंगत और जिम्मेदार कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, समिति एआई सिस्टम विकसित करने या तैनात करने में शामिल उद्योग प्रतिभागियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, साथ ही सरकारी एजेंसियों और क्षेत्रीय नियामकों द्वारा नीति निर्माण और प्रवर्तन को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों को भी निर्धारित करती है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य नवाचार और उसे अपनाने को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों का उचित और संदर्भ के अनुरूप समाधान किया जाए।

समिति अनुशंसा करती है कि भारत में एआई सिस्टम विकसित करने या तैनात करने में शामिल किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित से निर्देशित होना चाहिए:	समिति विभिन्न एजेंसियों और क्षेत्रीय नियामकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों की अनुशंसा करती है:
<ul style="list-style-type: none"> सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा संरक्षण, कॉपीराइट, उपभोक्ता संरक्षण, महिलाओं, बच्चों और अन्य 	<ul style="list-style-type: none"> किसी भी प्रस्तावित एआई शासन ढाँचे के दोहरे लक्ष्य हैं: नवाचार, प्रौद्योगिकी को अपनाना

<p>कमजोर समूहों के साथ होने वाले अपराध से संबंधित कानूनों सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, एआई प्रणालियों पर लागू होने वाले सभी भारतीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • संबंधित एजेंसियों या क्षेत्रीय नियामकों द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन प्रदर्शित करें। • निजता और सुरक्षा, निष्पक्षता, समावेशिता, गैर-भेदभाव, पारदर्शिता और अन्य तकनीकी एवं संगठनात्मक उपायों सहित स्वैच्छिक उपाय (सिद्धांत, संहिताएँ और मानक) अपनाएँ। • एआई से संबंधित नुकसानों की रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने और उचित समय सीमा के भीतर ऐसे मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाएं। • भारतीय संदर्भ में व्यक्तियों और समाज को होने वाले आशंकित नुकसान के जोखिम का आकलन करने वाली पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करें। यदि इनमें कोई संवेदनशील या गोपनीय जानकारी शामिल है, तो रिपोर्ट को संबंधित नियामकों के साथ गोपनीय रूप से साझा किया जाना चाहिए। • गोपनीयता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों, मशीन अनलर्निंग क्षमताओं, एल्गोरिथम ऑडिटिंग सिस्टम और स्वचालित पूर्वाग्रह पहचान तंत्र सहित, एआई के जोखिमों को कम करने के लिए तकनीकी-कानूनी समाधानों के उपयोग का पता लगाएं। 	<p>और समाज को इसके लाभों के वितरण का समर्थन करना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि संभावित जोखिमों को नीतिगत साधनों के माध्यम से दूर किया जा सके।</p> <ul style="list-style-type: none"> • शासन ढांचे लचीले और अनुकूलनीय होने चाहिए, ताकि हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर समय-समय पर समीक्षा, निगरानी और समायोजन किया जा सके। • जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत उपायों का उपयोग करते समय, नियामकों को उन जोखिमों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां वास्तविक और तात्कालिक नुकसान हो या जीवन, आजीविका या कल्याण के लिए खतरा हो। • जब तक कि यह आवश्यक न समझा जाए प्रस्तावित एआई शासन ढांचे को अनुपालन संबंधी भारी आवश्यकताओं (उदाहरण के लिए, अनिवार्य अनुमोदन, लाइसेंसिंग शर्तें, आदि) से बचना चाहिए। • समुचित नियामक या एजेंसी को यह निर्धारित करना चाहिए कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का नीतिगत साधन सबसे उपयोगी, प्रासंगिक और कम बोझिल है (उदाहरण के लिए, उद्योग संहिताएं, तकनीकी मानक, सलाह, बाध्यकारी नियम)। • जहां पहले से ही गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शिता आदि से संबंधित नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, वहां नियामकों को तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
--	--

ये व्यावहारिक दिशानिर्देश भारत में एआई प्रणालियों के सुसंगत, कानूनी और जिम्मेदार विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उद्योग के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट करके और नियामकों

द्वारा उचित नीतिगत कार्रवाई का मार्गदर्शन करके, इनका लक्ष्य नवाचार और अपनाने को सक्षम बनाना है, साथ ही सभी क्षेत्रों में विश्वास, जवाबदेही और प्रभावी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है।

निष्कर्ष

भारत के एआई शासन दिशानिर्देश व्यावहारिक, संतुलित और लचीला ढांचा प्रस्तुत करते हैं जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार विकास और अपनाने को बढ़ावा देता है। विश्वास ही आधार है, लोग सर्वोपरि हैं, नवाचार संयम से ऊपर है, निष्पक्षता और समानता है, जवाबदेही है, डिजाइन समझने योग्य है तथा सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता है - इन सात मार्गदर्शक सूत्रों पर आधारित ये दिशानिर्देश सुनिश्चित करते हैं कि एआई समावेशी विकास, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सहायक के रूप में कार्य करे, साथ ही साथ आनुपातिक, साक्ष्य-आधारित उपायों के माध्यम से व्यक्तियों और समाज के लिए जोखिमों का प्रभावी ढंग से समाधान करे।

नोडल मंत्रालय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रणनीतिक समन्वय के लिए एआई शासन समूह, विशेषज्ञ सलाह के लिए प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति, तकनीकी सत्यापन और सुरक्षा अनुसंधान के लिए एआई सुरक्षा संस्थान और क्षेत्र-विशिष्ट प्रवर्तन के लिए क्षेत्रीय नियामकों सहित समन्वित संस्थागत नेतृत्व द्वारा सक्षम, यह ढांचा नवाचार को बढ़ावा देने, सार्वजनिक विश्वास बनाने और भारत को वैश्विक एआई परिस्थितिकी तंत्र में जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित करने के लिए बनाया गया है।

इस सुनियोजित और दूरदर्शी वास्तुकला के माध्यम से, भारत का लक्ष्य 'सभी के लिए एआई' की परिकल्पना को साकार करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता देश को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की राष्ट्रीय आकांक्षा में सार्थक योगदान दे, और इसके लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ तरीके से पहुंचें।

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय:

- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc2025115685601.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216895&lang=1®=3&utm>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225069®=3&lang=2>

पीआईबी शोध इकाई

पीके/केसी/पीबी